

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2018-19 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
110	अशासकीय विद्यालय को अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	20000000
121	केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती	200 *
458	आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय	1500000
573	उच्च न्यायालय (भारत)	14000000
578	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1920000000
620	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3300000
791	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय	100 *
798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	100 *
938	केन्द्रीय तथा जिला जैले	12000000
1352	चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	100 *
1353	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर	300 *
1355	चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	317000
1430	जन्म मृत्यु संबंधी आकड़ों का संकलन	10000000
1473	जिला चिकित्सालय	100 *
1510	जिला स्थापना	1800 *
2216	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	3521000
2294	निर्देशन	5258067
2409	निर्वाचन अधिकारी	3000000
2418	निष्पादन	100 *
2772	प्राथमिक शालाएं	1200000000
2987	बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	450000
3307	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	10000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2018-19 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
3491	माध्यमिक शालायें -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	2500000000
3492	माध्यमिक शालाएं	1920000000
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय	85030000
3755	राष्ट्रीय सैन्य दल	18052100
4006	राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	300000000
4007	विधान सभा	3000000
4058	विविध लोक कार्य अग्रिम	100 *
4220	शिक्षा - चिकित्सा महाविद्यालय	55951200
4295	संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	1250000
4327	सचिवालय	100 *
4396	सरकारी प्राथमिक शालाएं -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	1680000000
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	253000000
4497	सामान्य स्थापना	700100
4727	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	100 *
5054	गोदामों का निर्माण (विपणन संघ)	100 *
5086	महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	100 *
5171	विशेष न्यायालयों की स्थापना	700000
5216	हाई स्कूल	310000000
5226	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि	10000000
5231	लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	11921000
5390	खनिज निधि में अंतरण	494600000
5403	पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	100 *
5437	राज्य प्रदत्त पुरस्कार	5000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2018-19 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
5535	छत्तीसगढ़ गौ-सेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान	50000000
5620	पशुरोग नियंत्रण	34480000
5626	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट	100 *
5632	साइन्स सिटी की स्थापना	9000000
5753	समारोह हेतु अनुदान	190000000
583	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	720000000
5998	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	100 *
6262	राज्य निर्वाचन आयोग	106000000
6717	प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	100000000
6908	कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	877476000
6968	चिकित्सा महाविद्यालय , बिलासपुर	100 *
6996	चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	2400100
7328	फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	39000
7330	मितानिन कल्याण निधि	668100000
7435	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल	139320000
7507	राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन प्राधिकरण अन्तर्गत राज्य महिला केंद्र की स्थापना	93450000
7614	राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड	6000000
7621	नेशनल लाइवस्टॉक मिशन	29900000
7626	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम	587700000
7678	सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूजी	50000000
7708	प्रशासनिक सुधार आयोग	400000
7714	राज्य मुख्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	200 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 3

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2018-19 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7715	नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	100 *
7716	मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	300 *
7717	प्रशिक्षण केन्द्र, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	200 *
7718	आपातकालीन सेवाएं	100 *
7719	सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, रायपुर	23000100
7772	उद्यम पूंजी निधि	20000000
7774	उद्यमियों को ऋण के लिए कार्पस निधि हेतु अनुदान	20000000
7783	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी	100 *
7807	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	12691700000
7840	संभागीय कार्यालय	6000000
7842	आर.आर.पी. फेस -II	200 *
7861	संचार क्रांति योजना	5667900000
7867	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	88962000
7884	प्रधानमंत्री मातृ वंदना	3300 *
7918	नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	366400000 *
7920	छत्तीसगढ़ नवाचार निधि	10000000
7921	“मुख्यमंत्री पेंशन योजना“	2000000400
7922	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस-III	300 *
7923	8.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	892100000 *
7924	8.33 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	416500000
7925	8.41 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	630750000
7926	8.28 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	414000000
7927	8.13 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	406500000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2018-19 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7928	8.15 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	611250000
7929	फिल्म विकास निगम	10000000
7930	मुख्यमंत्री बांस विकास योजना	900*
7931	चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	1200000000
7932	आयुष्मान भारत	3050000000
7933	महिलाओं एवं बच्चों के बचाव के लिए फॉरेंसिक लैब एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना	23000000
7934	केन्द्रीय पीडित क्षतिपूर्ति योजना	142831000
7935	नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रापिक अपराधों का नियंत्रण	2662000
7936	विशेष अधोसंरचना योजना-सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ	100000000
8018	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	3752000000
8050	छात्रवृत्तियां	130102000
8654	राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको का सहकारी बैंको में विलय	100000000
8716	केन्द्रीय सड़क निधि	1225400200
8899	पशुधन मित्त योजना	28200000
8908	नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना	100*
8920	विकास यात्रा योजना	45000000
8932	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण	3900000
8941	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	17500000
8950	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	100*
8977	अंसगठित सफाई कर्मकार कल्याण मंडल	5940000
8989	ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	63280000
9059	घरेलू कर्मचारी (भारित)	2100000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 5

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2018-19 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
9068	औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	50000000
9147	रोजगार कार्यालय	41600000
9182	इन्दिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय	100*
योग		48775402967